न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 176/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 29.12.2016
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. मुकेश दत्तक पुत्र भंवरिया जाति चमार निवासी कोलूखेडी तहसील छबडा जिला बांरा (राज0)।

...अपीलार्थी

बनाम

1 ग्राम पंचायत निपानियां द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत निपानिया पंचायत समिति छबडा तहसील छबडा जिला बांरा ।
2 रामचरण पुत्र उंकार लाल जाति चमार निवासी कोलूखेडी तहसील छबडा।
3 बजरंगलाल पुत्र किशनलाल जाति चमार निवासी कोलूखेडी तहसील छबडा जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभि0 क्रम–1 व 2
श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–3

निर्णय

दिनांक 10.1.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण द्वारा मिसल सं0 6/15 बउनवान मुकेश दत्तक पुत्र भंवरिया बनाम ग्राम पंचायत निपानियां वगेरा मे पारित 14.6.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि आराजी ख0 नं0 139 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ग्राम कालूखेडी का विक्रय प्यत्र के आधार पर बजरंगलाल पुत्र किशनलाल जाति चमार सा0 देह के नाम सरपंच ग्राम पंचायत निपानियां द्वारा तस्दीक किये गये नामा0 सं0 367 दिनांक 5.11.2015 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील पेश कर नामान्तरकरण निरस्त करने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार 2016 केम्प निपानियां मे दिनांक 14.6.2016 को मूल दावा निर्णित हो जाने व सिविल कोर्ट मे अन्य प्रकरण जेरकार होने से अपील इन्तकाल को निर्णय शुमार माने जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.6.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का उक्त निर्णय/आदेश निर्णय की परिभाषा मे नही आता है। स्पष्ट निर्णय नही होने से यह भी जाहिर नही होता है कि दीवानी न्यायालय का प्रकरण जेरकार भी रहा है अथवा

नही तथा अपीलांट द्वारा किया गया है या रेस्पो0 द्वारा तथा प्रकरण पहले का जेरकार है अथवा दीवानी न्यायालय का प्रकरण पूर्व का जेरकार है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश/निर्णय यदिनांक 14.6.2016 एवं निर्णय दिनांक 5.11.2015 अपास्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि विवादित भूमि पर कब्जे की जांच किये बिना नामा0 सं0 367 तस्दीक किया गया है जबकि विक्रय से पूर्व से ही रामचरण विवादित भूमि पर काबिज काश्त है अतः कब्जे की जांच किये बिना तस्दीक किया गया नामा0 367 खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। विक्रय पत्र 26.9.1997 के आधार पर एक इन्तकाल नं0 197 खोला गया जिसे दिनांक 22.11.97 को कब्जे के अभाव मे तहसीलदार द्वारा निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति मे विक्रय पत्र दि0 26.9.97 के आधार पर पुनः ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध नामा0 तस्दीक किया है। अपीलांट मृतक भवरिया के वारिस उत्तराधिकारी है भंवरिया द्वारा अपनी पैतृक भूमि को बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के बेचान व हस्तान्तरकरण का कोई अधिकार नही होने से बैनामा अवैध व प्रभाव शून्य है। अपीलांट के नाबालिग होने के कारण रेस्पो0 रामचरण उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। बहस मे यह भी जाहिर किया कि सिविल कोर्ट मे चलने से प्रकरण का निर्णय नही हो जाता। जेरअपील आदेश अवैधानिक है। केम्प मे कार्यवाही की गई सिविल कोर्ट से संबधित कोई साक्ष्य/सबूत पत्रावली मे उपलब्ध नही है। केम्प मे केवल पक्षकारान की आपसी सहमति से राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना जेरअपील आदेश पारित किया है जो अवैधानिक होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1व 2 ने अपनी बहस मे बताया कि नामा0 सं0 367 बेचान पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है जो वैधानिक रूप से सही है। विक्रय पत्र के आधार पर कब्जा माना जाना चाहिये। गोदनामा नही है। धारा 183 का दावा एसडीओ मे किया गया सिविल कोर्ट ने विक्रय पत्र को विधिक मानते हुये दिनांक 23.3.06 को डिक्री पारित की है। अपील मे माननीय न्यायालय ने दिनांक 13.7.06 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री की पुष्टि करते हुये अपील अस्वीकार कर खारिज की है। ऐसी स्थिति मे अपील सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–3 ने बहस मे प्रकट किया कि प्रकरण मे सिविल कोर्ट का निर्णय हो जाने का उल्लेख करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

6 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अतः प्रकरण मे गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रा0 पत्र मे वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य मे स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7 अपील पत्रावली का गुणावगुण पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय/आदेश न्याय आपके द्वार 2016 केम्प निपानियां मे दिनांक 14.6.2016 को मूल दावा निर्णित हो जाने व सिविल कोर्ट मे अन्य प्रकरण जेरकार होने से अपील इन्तकाल को निर्णय शुमार माना है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली मे मूल दावा निर्णित होने व सिविल कोर्ट मे अन्य प्रकरण जेरकार होने संबधी कोई दस्तावेज/आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे पारित जेरअपील आदेश दिनांक 14.6.2016 स्पष्ट एंव स्पीकिंग आर्डर नही होने से न्यायोचित एंव विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि केम्प कोर्ट मे पक्षकारान की आपसी सहमति से राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश दिनांक 14.6.2016 पारित करने से पूर्व उक्त तथ्यो पर गौर नही किया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश/निर्णय दिनांक 14.6.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वर्णित तथ्यो का समुचित विवेचन कर पुनः विधिसम्मत एंव स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांक 14.6.2016 अपास्त किया जाता है। निर्णय मे विवेचित उपरोक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत एंव स्पीकिंग आर्डर पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 10.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा